

28/25 — वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी स्वयं  
भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति बावत कोई  
कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार भावाज  
लागवाई गई। अतः यह वाद-पत्र अदम पेशी  
अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर  
नाम्बर से काम हो तथा एरटीब एकमिल होकर  
कार्रवाई करार हो।

Dayindup